कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

☎ – 07652–245167 ई–मेल– dfonshahdol@mpforest.org

क्रमांक/मा.चि./2019/278 शहडोल/दिनांक 18/02/2019

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक–02
शहडोल (म.प्र.)

विषय :– शहडोल जिले के अन्तर्गत हिरवार माइको सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 1.423 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने बावत्।

संदर्भ :–
1. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग बल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक/एफ.–5/2011/2006/10–03 दिनांक 31.05.2014 एंव एफ.–5/2011/2006/10–3 दिनांक 02.06.2016 एंव एफ.–5/2011/2006/10–3 दिनांक 05.07.2018।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष –भू प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक/एफ.–5/2019/10–11/110 दिनांक 14.01.2018।
3. कार्यालय वन वृत्त शहडोल का पत्र कमांक/मा.चि./2019/283 दिनांक 11.01.2019।
4. इस कार्यालय का पत्र कमांक/मा.चि./241, दिनांक 17.01.2019।
5. आपका पत्र कमांक/215/कार्य/वन/2019 दिनांक 21.01.2019।

---000---

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र क्रमांक 04 से परिक्षेत्र पश्चिम ब्यौहारी के अन्तर्गत हिरवार माइको परियोजना हेतु 1.423 हे. वनक्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु सैध्दान्तिक स्वीकृत जारी की गई। सन्दर्भित पत्र क. 05 से आपके द्वारा सर्शत स्वीकृत का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तावित परियोजना में आ रहे वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	कक्ष क्र.	लंबाई (मी. में)	चौडाई (मी. में)	क्षेत्रफल (हे. में)
1	नहर लाईन	पी.–137	1740.00	5.50	0.957
2	नहर लाईन जी – 1	पी.–137	240.00	3.00	0.072
3	नहर लाईन जी – 1	पी.–137	560.00	3.00	0.168
4	नहर लाईन जी – 1	पी.–136	400.00	3.00	0.12
5	नहर लाईन जी – 2	पी.–137	10.00	4.00	0.004
6	बी. पी. टी. टैंक	पी.–137	40.00	20.00	0.08
7	पम्प हाउस	पी.–137	15.00	15.00	0.0225
योग					1.4235

प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के पत्र क्रमांक/मा.चि./2019/283 दिनांक 11.01.2019 से परियोजना में अनुमोदन/अनुशंसा प्रदाय की गई है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग बल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक/एफ.–5/2011/2006/10–03 दिनांक 31.05.2014 एवं पत्र क्रमांक/एफ.–5/2011/2006/10–3 दिनांक

Scanned by CamScanner

02.06.2016 एंव एफ.–5/2011/2006/10–03 दिनांक 05.07.2018 के अनुक्रम में शर्तानुसार सैध्दांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. भूमि का वैद्यानिक स्वरूप अपवर्तित रहेगा, अर्थात वह भूमि आरक्षित/संरक्षित/ग्राम/अवर्गीकृत/अन्य श्रेणी के वनों/वन आदि ही रहेगी।
2. आवेदक संस्था द्वारा केवल उतनी ही वन भूमि का उपयोग किया जावेगा, जितना की व्यपवर्तन प्रस्तावित हुआ है, अतिरिक्त वन भूमि का उपयोग करने पर वन सरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) का उल्लंघन माना जावेगा।
3. परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्यप्राणी अभ्यारण्य अथवा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर होना चाहिए।
4. वन भूमि पर किसी भी प्रकार के श्रमिकों के द्वारा कैंप नहीं लगाये जायेंगे।
5. सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व वन भूमि पर कोई भी कार्य नहीं कराया जावेगा।
6. परियोजना के निर्माण मे यदि किसी वन अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होता है तो उसके लिये आवेदक संस्थान उत्तरदायी होंगे।
7. उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारो ओर क्षेत्र में स्थित जीव–जन्तुओं व वनस्पतियों को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित करने के लिये सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।
8. परियोजना क्षेत्र मे बसे हुए आदिम जाति एवं कृषि पूर्व समुदाय के मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।
9. वन क्षेत्र के अन्दर गिट्टी, मिट्टी, मुरूम, रेता आदि का संग्रहण एवं उत्खनन नही किया जायेगा।
10. आवेदक संस्थान द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि पर काटे गये वृक्षो की संख्या से दुगने, वृक्ष परियोजना व्यय पर लगाये जायेगे ताकि क्षेत्र हरा–भरा रहे। वृक्षा रोपण स्थल का चयन व चिन्हाकंन वन विभाग द्वारा किया जावेगा (प्राथमिकता परियोजना स्थल के आस–पास ही हो) इस पौधा रोपण हेतु केवल स्थानीय मूल प्रजातियों का ही उपयोग किया जावेगा, वृक्ष यदि व्यपवर्तित भूमि पर लगाये गये हो तो राज्य वन विभाग के अनुमति के बिना उनका पातन नही किया जावेगा जो वृक्ष वन क्षेत्र से अन्यत्र लगाये जायेगे वे भी वन विभाग की सम्पत्ति रहेगे।
11. भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल द्वारा नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि या भविष्य में अंतर की राशि जो देय होगा उसे आवेदक संस्थान जमा करने हेतु बाध्द्य होगा।
12. भविष्य में भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल द्वारा दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षा रोपण कराई जाती है या संबंधित अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो आवेदक संस्था वाद्धय होगी।
13. उक्त परियोजना कार्य के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो आवेदक संस्थान द्वारा ऐसी क्षती की भरपायी की जावेगी।
14. वनों के संरक्षण अनुरक्षण तथा संवर्धन के हित मे राज्य शासन/वन विभाग द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों क पालन आवेदक/संस्थान द्वारा किया जावेगा।
15. समय–समय पर मान्नीय सर्वोच्च्य न्यायालय की याचिका क्रमांक 202/1995 के अनुक्रम में प्रसारित आदेश एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुपालन में पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय अथवा म.प्र. शासन बल्लभ भवन भोपाल द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश का कड़ाई से पालन करने बावत् आवेदक संस्था बाध्यकारी होगे।

Scanned by CamScanner

अतः यूजर एजेंसी वन भूमि का उपयोग करते समय माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के दिशा निर्देशो के प्रति संवेदनशील एवं सचेत रहेगे।

16 यदि भविष्य में शासन/विभाग द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो आवेदक संस्था उसे माननें के लिये बचनवध्द होगा।

उपरोक्त सशर्तो में किसी भी प्रकार से अनियमितता पाई जाती है तो उक्त पारियोजना स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

(देवाशु शेखर)
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)
शहडोल/दिनांक..18./.02./...2019

पृ. कमांक/मा.चि./2019/299
प्रतिलिपि :–

1 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल।
2 मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3 कलेक्टर जिला शहडोल म0प्र0।
4 उपवनमण्डलाधिकारी ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5 वन परिक्षेत्राधिकारी पश्चिम ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि उक्त परियोजना में 08 नग सागौन के वृक्ष (31 से 60 से.मी.) गोलाई के हैं, एंव शेष 261 नग (20 से.मी. गोलाई से कम) विभिन्न प्रकार के वृक्ष तथा 51 नग बांस भिर्रा झाडी के रूप में है, का नियमानुसार पातन कार्य हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।
6. राजस्व शाखा प्रभारी उत्तर वनमण्डल शहडोल की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल (म.प्र.)

Scanned by CamScanner